ताज़ीमी सज्दे के हराम होने
और कुफ़्र व शिर्क न होने के सबूत

ताज़ीमी सज्दा हराम है

आलाहज़रत फ़ाज़िले बरेलवी अ़लैहिर्रहमा

ताज़ीमी सजदे के हराम होने और कुफ़्र व शिर्क न होने के सुबूत में लाजवाब किताब

ताज़ीमी सजदा हराम

मुसन्निफ़

आलाहज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ

(रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु)

जदीद तरतीब

मौलाना मुह़म्मद सिद्दीक़ हज़ारवी

हिन्दी तर्जमा

जनाब मुह़म्मद अह़मद उर्फ़ मुह़म्मद महताब अली (M.Sc. CAIIB)

नाम किताब	:	ताज़ीमी सज्दा करना हराम है
मुसन्निफ़	:	आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ
तरतीब		मौलाना मुहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी
नाशिर	:	तहसीनी फ़ाउन्डेशन, चक महमूद तहसीनी नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ़
सन तबाअ़त	:	1436 हिजरी मुताबिक़ 2015

पेश लफ्ज़

अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फज़्ल–ओ–करम और मेरे बुजुर्गों के फैज से यह किताब **"अज़्ज़ुबदतुज़्ज़किइयह लितहरीमे सुजूदित्ताहिइयह"** जिसका उर्दू नाम **"ताज़ीमी सजदा ह़राम है"** है जो ताज़ीमी सजदे के हुक्म में है आपके हाथों में है। बहुत अर्से से तमन्ना थी कि आलाहज़रत मुजद्दिद दीन–ओ–मिल्लत शाह मुहम्मद अह़मद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआला अन्हु की यह किताब हिन्दी में आए, आज यह तमन्ना पूरी हुई।

इस किताब में ताज़ीमी सजदा क्या है यह बताया गया है साथ ही यह बताया गया है कि ताज़ीमी सजदा हराम है कुफ्र या शिर्क हरगिज़ नहीं, हाँ इबादत की नियत से सजदा अल्लाह तआला के सिवा किसी को भी करना बिला शक व शुबह कुफ्र है इसमें किसी को भी इख़्तिलाफ़ नहीं है।

आज कुछ बदमज़हब फिरके जैसे वहाबी देवबन्दी यह इल्ज़ाम देते हैं कि सुन्नी मज़ारात पर सजदा करते है और कब्रों को पूजते हैं मआज़ अल्लाह ऐसा हरगिज हरगिज़ नहीं। वहाबियों को तो मज़ारात पर बोसा देना भी शिर्क व कुफ्र नज़र आता है, उन्हें तो मज़ारात और बुज़ुर्गों से ही चिढ़ है। बहरहाल इस किताब में आलाहजरत ने बड़ी तफसील के साथ तह़क़ीकी तौर पर बयान फरमाया है कि ताज़ीमी सजदा हराम है कुफ्र व शिर्क नहीं।

इस किताब को हमने अपने तौर पर समझाने की कोशिश की है, हमें लगता तो है हम कामयाब हैं, मगर यह आप ही बता सकते हैं कि हम किस हद तक कामयाब हैं। इसके बाद भी अगर मसअले को समझने में किसी किस्म की दिक्कत आए तो किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम से इस मसअले को अच्छी तरह समझ लें और वहाबियों की बातों में न आयें और हमारी तमाम कोशिश के बावजूद इस रिसाले के तर्जमा करने में जो कहीं कोई भी गलती रह गई हो तो हमें इत्तेला ज़ुरूर करें ताकि अगले एडीशन में उसे ठीक कर लें।

इस मसअले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक तौर पर समझाने की कोशिश करें, आजकल ईमान के लुटेरे इस मसअले पर भोले भाले मुसलमान भाईयों को बहुत ज़्यादा बहकाते हैं और बार बार सुन्नियों पर मज़ारात को सजदा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं । ख़बरदार होशयार।

मैं जनाब मौलाना हाफिज़ मुहम्मद शकील साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस रिसाले को आप तक पहुँचाने में मेरी बहुत मदद की, अल्लाह तआला उन्हें दुनिया और आख़िरत में बरकतें अता फ़रमाए और उनसे और भी दीनी ख़िदमत ले।

आखिर में आप लोगों से दुआ की गुज़ारिश करना है कि मैं यूंही ज़िन्दगी भर काम करता रहूँ और इसी पर साथ ईमान के ख़ातिमा हो। आप भी हिन्दी की तसानीफ का इन्तेज़ार न करके उर्दू सीखिए और दीनी मालूमात हासिल कीजिए। आमीन।

मुहम्मद अहमद नूरी

रजब 1422

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रहीम

नह़्मदुहू व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम

लाइलाहा इल्लल्लाहु मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) यानि अल्लाह के सिवा कोई पूजने के काबिल नहीं मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) अल्लाह तआला के रसूल हैं।

हर मुसलमान जानता है कि यह कलिमए तय्यबा है और इसी पर मज़हबे इस्लाम की बुनयाद है जो इसका मानने वाला नहीं वह मुसलमान नहीं और इसका इन्कार करने वाला काफिर है और अगर इसी पर काइम रहा तो हमेशा के लिए जहन्नमी है। अगर कोई भी मुसलमान अपने किसी भी कौल या फेल से इस कलिमे का इन्कार करता है और बगैर तौबा के मर जाता है तो वह दुनिया से काफिर गया और हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। ——— इसी तरह से अगर कोई शख़्स किसी गैरे खुदा को इबादत या पूजा की नियत से सजदा करे तो वह काफिर हो गया और अगर बिना तौबा के मरा तो जहन्नमी है और ऐसे श्ख़्स को जहन्नमी न समझने वाला भी जहन्नमी है।

आज देखा यह गया है कि कुछ लोग अपने पीर को सजदा करते हैं तो कुछ लोग मज़ारात को सजदा करते हैं । क्या यह फेल दुरूस्त है? हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं। कुछ लोग इस सजदे को मुबाह व जाएज़ मानते हैं तो कुछ लोग हराम मानते हैं तो कुछ लोग इसे कुफ्र व शिर्क मानते हैं। आइये देखते हैं कि सजदा किसे कहते हैं यह कितने किस्म के होते हैं और किस सजदे का क्या हुक्म है, पहले की शरीअत में गैरे खुदा के सजदे का क्या हुक्म था मज़हबे इस्लाम में क्या हुक्म है। इबादत की नियत से गैरे खुदा को सजदा करना बिला शक व शुबा कुफ्र व शिर्क है इस बात में किसी को इख़्तिलाफ नहीं हर मुसलमान इसे मानता है।

ताज़ीम के तौर पर सजदे का क्या हुक्म है? —— इसके जवाब में यह बात बिल्कुल साफ़ है कि दूसरे नबियों के दौर में यह सजदा जाएज़ था मगर हमारे और आपके आका ने ताज़ीम के तौर पर भी सजदे को हराम बताया है। यह बात कुरआन से साबित है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने आपको सजदा किया और यह भी कुरआन से साबित है कि फिरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। हाँ जब हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) से इसी ताज़ीमन सजदे की इजाजत मांगी गई (यानि ताज़ीम के तौर पर सजदे की इजाज़त मांगी गई) तो आपने इसे हराम फ़रमाते हुए फ़रमाया कि खुदा के बाद अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। यहाँ भी यही ध्यान देने की बात है कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) हरगिज़ हरगिज़ लाइलाहाइल्लाह के खिलाफ़ हुक्म न देते बल्कि अगर हुक्म होता तो ताज़ीमन सजदे का हुक्म होता मगर ऐसा भी न हुआ और आपने ताज़ीमन सजदे को भी हराम फ़रमा दिया।

जब किसी सहाबी ने आपसे आपको सजदा करने की इजाज़त मांगी (जैस कि आगे आने वाली हदीसों में आयेगा) तो आपने मना फ़रमा दिया। क्या कोई कह सकता है कि कोई सहाबी लाइलाहइल्लल्लाह के खिलाफ इजाज़त मांग रहा था क्या कोई सहाबी इबादत के तौर पर सजदे की इजाज़त मांग सकता है हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं। जब भी किसी सहाबी ने हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) से सजदे की इजाज़त मांगी तो आपने मना फ़रमा दिया और ताज़ीमन सजदे को भी गैरे खुदा (यानि खुदा के आलावा कोई भी) के लिए हराम फ़रमाया।

मालूम यह हुआ कि सजदे की दो किस्में हैं।

(1) सजदए इबादत (तअब्बुदी सजदा) यानि इबादत के तौर पर सजदा जो सिर्फ़ अल्लाह तआला के लिए ही किया जाता है और गैरे खुदा को करना कुफ्र व शिर्क है —— यह सजदा किसी दौर में भी मख़लूक़ के लिए जाएज़ नहीं रहा क्यूँकि यह उस ज़ात को किया जाता है जो माबूदे हकीकी है और अल्लाह तआला के सिवा किसी को

भी माबूद मानना शिर्क है और यह किसी जमाने में भी जाएज नहीं रहा।
(2) सजदए तहीय्यत (ताजीमी सजदा) यह सजदा हजरते ईसा अलैहिस्सलाम तक मख़लूक़ के लिए जाएज़ रहा। इस सजदे का मकसद मसजूद इलैह (जिसको सजदा किया जाए) की ताज़ीम करना है उसको खुदा या माबूद मानना नहीं जैसा कि युसूफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों ने आपको सजदा किया और फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन अब ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मुह़म्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीअत में किसी को भी सजदए ताजीमी जाएज नहीं बल्कि हराम है हाँ कुफ्र व शिर्क नहीं। (चूंकि इसमें सजदा करने वाले पर कुफ्र या शिर्क का शुबह होता है लिहाजा यह सख्त हराम है)

यहाँ एक बात और बताता चलूं किसी सजदए ताज़ीमी के कोई ख़ास शराएत नहीं जबकि सजदए इबादत के कुछ शराएत हैं जैसे सजदा करने वाला बावुजू हो, उसका रुख किब्ले की तरफ हो, उसकी नाक पेशानी जमी हो, पैरों की उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमा हुआ हो और इन सब के अलावा उसकी नियत भी सही हो यानि अगर सारी शर्ते पाई जायें और सजदा करने वाले की नियत किसी गैर खुदा को सजदा करने की हो तो कुफ्र व शिर्क है और अगर शर्ते पाई जायें मगर गैरे खुदा को सजदे की न हो तो कुफ्र व शिर्क नहीं हाँ सख़्त हराम है। यानि किसी को सजदा करते देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि यह सजदए ताज़ीमी कर रहा है या सजदए इबादत जब तक कि उसकी नियत न मालूम हो —— लिहाज़ा किसी को सजदा करते देख कर उसे मुशरिक नहीं कहा जाएगा बल्कि मोमिन के लिए नेक गुमान करते हुए यही कहा जाएगा कि यह सजदए ताज़ीमी कर रहा है —— हाँ यह भी बिला शक व शुबा हराम और सख़्त हराम है।

ताज़ीमी सजदा : बाज़ जाहिलों और झूटे सूफ़ियों ने अपनी जहालत की बिना पर गैरे खुदा के लिए ताजीमी सजदे को जाएज़ करार दिया और इसके सुबूत में हजरते आदम व हज़रते यूसुफ अलैहिमुस्सलाम के

वाक़िआत का हवाला दिया। जबकि बाज़ दूसरे लोगों ने बिना सोचे समझे सजदए ताज़ीमी को भी कुफ्र व शिर्क कह दिया। हालांकि दीन का एक छोटा सा तालिबे–इल्म (छात्र) भी जानता है कि शिर्क अल्लाह तआला से बराबरी का नाम है और जब किसी मख़लूक़ को खुदा न समझा जाए तो शिर्क कैसे होगा। इन्हीं सब बातों ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु को हक़ साबित करने की तरफ मुतवज्जेह किया और आपने इस मौज़ू पर एक रिसाला मुबारका **"अलजुबदतुज़्ज़किय्या फ़ी तहरीमे सुजूदित्ताहिय्या"** के नाम से मुरत्तब फ़रमाया।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मौज़ू पर क़लम उठाया और कुरआने पाक की एक आयत और चालीस अहादीसे मुबारका और एक सौ दस फ़िक्ही नुसूस से इस्तिदलाल (दलीलें पेश करना) करते हुए साबित किया है कि ग़ैरे खुदा को सजदए इबादत हमेशा से हराम और शिर्क रहा है और अब भी इस का हुक्म यही है जबकि ताज़ीमी सजदा हराम है और इतना शदीद हराम कि कुफ्र के करीब है।

आयते मुबारका

ताज़ीमी सजदे के हराम होने के सुबूत में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है। इरशादे खुदावन्दी है :–

ولا یأمرکم ان تتخذو الملائکة والنبیین اربابا ایأمرکم با لکفر بعد اذ انتم مسلمین (پ۳ ع۱٦)

तर्जमा : और न तुम्हें यह हुक्म देगा कि फ़िरिश्तों और पैगम्बरों को खुदा ठहरा लो क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो।

इस आयत की तफ़सीर में तफ़सीर करने वालों ने शाने नुज़ूल के हवाले से बताया कि एक सहाबी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपको सजदा करने की इजाज़त मांगी तो आपने उनको मना फ़रमाया। इस मौके पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई।

चुनांचे इस आयत की रू से नबीए करीम (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) और दूसरे इन्सानों बल्कि तमाम मख़लूक़ के लिए सजदा करने की मुमानअत कर दी गई।

बाज़ मुफस्सिरीन (तफसीर करने वाले आलिम) ने बताया कि इस आयत में नजरान (जगह का नाम) के ईसाइयों का रद है जिनका दावा था कि हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि वह उनको अपना रब तसलीम करें। कुछ मुफस्सिरीने किराम के अक़वाल यह हैं :–

हज़रते हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं

मुझे हदीस पहुँची है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हम हुज़ूर को भी ऐसे ही सलाम करते हैं जैसे आपस में करते हैं क्या हम हुज़ूर को सजदा न करें। आपने फरमाया "न" बल्कि अपने नबी की ताज़ीम करो सजदा खास हक़ खुदा का है इसी लिए अल्लाह तआला के सिवा किसी को सजदा सज़ावार (लाइक) नहीं। इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत (जो ऊपर गुज़री) उतारी। अलइकलील फ़ी इस्तिंबातित्तन्ज़ील में है इस आयत से साबित हुआ कि गैरे खुदा को सजदा हराम है।

तफसीरे जलालैन में है कि यह आयत उस वक़्त नाज़िल हुई जब नजरान के ईसाईयों ने कहा कि हजरते ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया है कि वह उन्हें रब माने या जब नाज़िल हुई कि जब बाज़ मुसलमानों ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करने का मुतालबा किया।

इसके अलावा तफसीर बैजावी, मदारिक, अबुस्सऊद, कश्शाक, तफसीरे कबीर, शहाब और तफ़सीरे ज़ुमुल में मुफस्सिरीन हज़रात ने इसी तफसीर की ताईद (हिमायत) की है कि पहले सबब पर दूसरे को तरजीह (वरीयता) दी कि मुसलमानों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदे की दरख़्वास्त की इस पर आयत उतरी ——— खुद आयत के आख़िर में जो फरमाया गया कि "क्या तुम्हें कुफ़्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो।" यह इस बात की दलील है कि वह मुसलमान ही यहाँ पर मुराद हैं जो सजदे के

ख्वाहिशमन्द थे, ईसाई मुराद नहीं हैं। ——— (यानि जाहिर यह है कि यह बात अल्लाह तआला ने ईसाईयों से न कह कर मुसलमानों से कही है और मुसलमानों को गैरे खुदा को सजदा करने से मना किया गया है आगे यह भी आता है कि यह कौन से सजदे को मना किया गया है सजदए इबादत या सजदए ताज़ीमी)

तफसीर मदारिक व कश्शाफ में है :-

तर्जमा : "बाद इसके कि तुम मुसलमान हो" के अलफाज से यह साबित हुआ कि मुसलमान ही मुखातब हैं और यह वह लोग हैं जिन्होंने आपसे इजाजत मांगी कि आपको सजदा किया जाए।

तफसीरे बैज़ावी में है :-

यह इस बात की दलील है कि मुसलमानों ही को खिताब है और उन्होंने ही आपको सजदे की इजाज़त मांगी थी।

तफसीरे कबीर में कश्शाफ का कौल नक्ल करके इसे साबित व मुकर्रर रखा है (यानि तफसीरे कबीर में भी यही साबित है)

फुतुहात में है :-

आयत के आखिर में "बाद इसके कि तुम मुसलमान हो" के अलफाज़ इस एहतमाल (वहम, शक) के करीब हैं।

इनायतुल काज़ी में है :-

यह वज़ाहत (उनका मुसलमान होना) इस कौल को तरजीह देता है कि यह आयत उन मुसलमानों के हक में नाज़िल हुई जिन्होंने अर्ज़ किया कि क्या हम आपको सजदा करें।

तफसीरे नीशापुरी में भी इस की ताईद की गई है।

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा की तहकीक

आयते करीमा की तफसीर और शाने नुजूल के सिलसिले में आपने मुफस्सिरीन के अकवाल मुलाहज़ा फरमाए। इन अकवाल की रौशनी में साबित हुआ कि गैरे खुदा को सजदा जाएज नहीं चाहे वह सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात ही क्यूँ न हो। हाँ आयते करीमा और इसकी तफसीर को सामने रखते हुए तीन बातें काबिले गौर हैं।

1. अगर इससे सजदए इबादत की हुरमत (यानि हराम होना) मुराद

ली जाए तो आयते करीमा के अलफाज "क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो" इसकी ताईद करते हैं लेकिन यह शाने नुजूल के खिलाफ है क्यूँकि इसमें बताया गया है कि बाज सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करने की इजाजत चाही थी और किसी सहाबी के बारे में इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि सहाबी हो कर कुफ्र या शिर्क की इजाजत चाह रहे थे।
2. अगर इससे ताज़ीमी सजदे की हुरमत साबित हो जैसा कि शाने नुजूल से मालूम हो रहा है तो यह बात एतबार से सही नहीं कि यहाँ "क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा" फरमाया गया और ताजीमी सजदा कुफ्र नहीं लिहाज़ा ऐसा सजदा मुराद होगा जो कुफ्र व शिर्क की वजह (कारण) हो।
3. अगर इसका शाने नुजूल नजरान के ईसाईयों का कौल हो कि हजरते ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया कि हम उनको अपना रब मानें तो इससे यह ख़राबी लाज़िम आती है कि "क्या तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो" के मुताबिक उन ईसाईयों को मुसलमान मानना पड़ेगा हालांकि यह सही नहीं।

इन तमाम बातों को सामने रखते हुए आला हजरत इमाम अह़मद रजा कुद्दिसा सिर्रूहू ने फ़रमाया :–

मैं (आलाहजरत) अल्लाह तआला की तौफ़ीक से कहता हूँ कि नजरान के ईसाई मुसलमान न थे और यहाँ "तुम मुसलमान हो" फरमाया गया है लिहाज़ा ईसाई मुराद नहीं हैं। ——— तो यहाँ तो माना यह लेने होंगे

"ايأمراباء كم الاولين بالكفر بعد اذ كانو مسلمين (پ٣ ع١٦)

(तर्जमा : क्या हजरते ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे अगले बाप दादाओं को जो उनके जमाने में दीने हक पर थे कुफ्र का हुक्म करते बाद इसके कि ईमान ला चुके थे) और खिताबे मुस्लिमीन पर कुफ्र में तावील की हाजत है कि मुसलमानों ने हरगिज सजदए इबादत न चाहा।

पहली बात तो यह है कि यह न सहाबा से मन्कूल (नक्ल किया

हुआ) था कि रोजे अव्वल से हर एक के मुवाफिक (पक्ष करने वाला) मुख़ालिफ़ (विरोधी) दूर का नजदीक का हर शख़्स जानता और हर घर में चर्चा था कि एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं और शिर्क के बराबर किसी चीज को दुश्मन नही रखते थे तो यह बात कैसे सोची जा सकती है कि कोई सहाबी नबी की इबादत की दरख़्वास्त करेगा और वह भी खुद नबी से ——— खुसूसन यह सजदे की दरख़्वास्त करने वाले कौन थे वह अजिल्लए सहाबाए किराम हजरते मुआज इब्ने जबल, हजरते कैस इब्ने सअद व हजरत सलमान फारसी यहाँ तक कि हजरते सय्यिदुना सिद्दिके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हुम जैसा कि फ़सले अहादीस में आता है।

दुसरी बात यह कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही फरमाया कि ऐसा न करो, यह न फरमाया कि तुम गैर की इबादत की दरख़्वास्त करके काफिर हो गए, तुम्हारी औरतें निकाह से निकल गई तौबा करो दोबारा इस्लाम लाओ फिर औरतें राजी हों तो उनसे निकाह करो।

तीसरी बात यह कि सबसे बढ़कर तो यह बात है कि अल्लाह तआला खुद इस आयत में उनको मुसलमान बता रहा है कि तुम मुसलमान हो क्या तुम्हें कुफ़्र का हुक्म दे।

यही वजह है कि इमाम मुहम्मद इब्ने मुहम्मद हाफिजुद्दीन वज़ीज़ में फ़रमाते हैं :–

अल्लाह तआला ने सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से फरमाया क्या नबी तुम्हें कुफ़्र का हुक्म दें बाद इसके कि तुम मुसलमान हो। यह आयत उस वक्त उतरी जब सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करने की इजाजत चाही और जाहिर है कि उन्होंने सजदा तहिय्यत की दरख़्वास्त की थी इस दलील से कि फ़रमाया है बाद इसके कि तुम मुसलमान हो और सजदए इबादत जाएज मानकर मुसलमान नहीं रहता।

जब इससे सजदए इबादत मुराद नहीं बल्कि ताजीमी सजदा मुराद है तो लफ़्ज़ कुफ़्र इस्तेमाल करने की क्या वजह है जब कि सजदए तहिय्यत कुफ़्र नहीं। इस बात का जवाब आलाहज़रत इमाम

अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह यूँ देते हैं :-

मैं कहता हूँ कि बिऐनिही (हू-ब-हू) यही दलील रौशन कर रही है कि कुफ़्र से कुफ़्रे हकीकी (जो हकीकत में कुफ़्र हो) मुराद नहीं कि कुफ़्र हकीकी की दरख्वास्त करके भी मुसलमान नहीं रहता फिर क्यूँकर फरमाया जाता है कि इसके बाद कि तुम मुसलमान हो।

आलाहज़रत आगे फ़रमाते हैं :-

इमाम खातिमुल हुफ्फ़ाज़ ने दोनों शाने नुजूल बराबर रखीं और शक नहीं एक-एक आयत के लिए कई-कई शाने नुजूल होती हैं और कुरआने करीम अपने जमीअ वुजूह पर हुज्जत है यानि तमाम वुजूह पर दलील है जैसा कि तफसीरे कबीर, शरहे मवाहिब जरकानी वगैराहुमा में है ——— तो कुरआने करीम ने साबित फरमाया सजदए तहिय्यत ऐसा सख्त हराम है कि कुफ़्र का मुशाबेह है। अल अयाजु बिल्लाहि तआला।

सहाबए किराम ने हुजूर से सजदए तहिय्यत की इजाजत चाही इस पर इरशाद हुआ क्या तुम्हें कुफ़्र का हुक्म दें। मालूम हुआ कि सजदए तहिय्यत ऐसी कबीह (बुरी) चीज है जिसे कुफ़्र से ताबीर फरमाया जब खुद हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सजदए तहिय्यत का हुक्म यह है फिर औरों का जिक्र? अल्लाह हिदायत फरमाए।

आलाहज़रत की इस तहकीक और खुदादाद कुव्वत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है क्यूँकि आपने मुफस्सिरीन किराम की इबारत की तावील करके वाज़ेह फरमाया कि इससे सजदए इबादत मुराद लिया जाए तो इससे सहाबा किराम की जात तान व तशनीअ का निशाना बनती है और अगर सजदए तहिय्यत मुराद लिया जाए तो इसका हुक्म कुफ़्र नहीं लिहाजा मतलब यही होगा कि सजदए तहिय्यत ही मुराद है लेकिन यह इतना अजीम जुर्म है कि उसे कुफ़्र के मुशाबेह क़रार दिया गया।

आलाहजरत ने सजदए इबादत और सजदए तहिय्यत में फर्क वाजेह करते हुए दोनों का हुक्म बयान फरमाया और जो लोग लाइल्मी या किसी दूसरे सबब से सजदए तहिय्यत को भी शिर्क व कुफ़्र करार

देते हैं वह बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। आपने इसी की वजाहत करते हुए फरमाया :

मुसलमान! ऐ मुसलमान!! शरीअते मुस्तफवी के ताबेअ फरमान! जान और यक़ीन जान कि सजदा अल्लाह तआला के सिवा किसी के लिए नहीं, उसके गैर को सजदा इबादत तो यक़ीनन कुफ्रे मुहीन (बदतर कुफ्र व खुला कुफ्र) और सजदए तहिय्यत हराम व गुनाहे कबीरा बिलयक़ीन। सजदए तहिय्यत यानि ताज़ीमी सजदे के कुफ्र होने में इख़्तेलाफ उलमाए दीन। फुक़हा की एक जमाअत के क़ौल के मुताबिक कुफ्र! और तहक़ीक़ यह कि वह कुफ्रे सुवरी (जो ज़ाहिर में कुफ्र हो हकीकत में नहीं यानि वह कुफ्र जो देखने में तो कुफ्र लगे मगर कुफ्र ही नहीं।) ——— हाँ बुत या सलीब (सूली जैसे ईसाईयों के काम) या सूरज या चाँद वगैरह को सजदा पर कुफ्र का ही हुक्म है जैसा कि शरहे मवाहिब वगैरह किताबों में है।

इनके सिवा मिस्ले पीर व मज़ार के लिये हरगिज़ हरगिज़ न जाएज़ व मुबाह (जाइज़) जैसा कि कुछ लोगों का झूटा दावा है न शिर्के हकीकी है कि बख़्शा न जाएगा जैसा कि वहाबियों और दूसरे बदमज़हब फिरक़ों की झूटी सोच है। हाँ बेशक हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। पस अल्लाह तआला जिसे चाहे बख़्श दे जिसे चाहे अज़ाब करे। शिर्क व कुफ्र कहने वालों के लिए तो हज़रते आदम अलैहिस्सलाम का वाकिआ दलील है कि अगर इसे शिर्क माने तो आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तआला ने सजदे का हुक्म फरिश्तों को दिया था तो क्या यह शिर्क व कुफ्र था? हरगिज़ हरगिज़ नहीं, क्या अल्लाह ऐसा हुक्म दे सकता है बल्कि यह ताज़ीमी सजदा था। ——— और जम्हूर यानि सबके लिए यह दलील कि हज़रते यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाईयों ने सजदा किया जैसा कि कुरआन में है यह भी सजदए ताज़ीमी है मगर अब यह भी जाएज़ नहीं बल्कि हराम जैसा कि आगे हदीस में आएगा।

मुहाल है कि कभी अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ को अपना शरीक करने का हुक्म दे अगरचे फिर उसे भी मन्सूख़ फरमाए और साथ ही यह भी मुहाल है कि फरिश्ते या कोई भी नबी एक आन के

लिए भी किसी को अल्लाह तआला का शरीक ठहरायें।

नोट : यहाँ तक के मज़मून से साफ ज़ाहिर हुआ कि ऊपर गुज़री आयत में सजदए ताजीमी को हराम बताया गया है कुफ्र नहीं जबकि पहले सजदए ताजीमी जाएज था और इस आयत में सजदए इबादत मुराद नही है और सजदए इबादत तो गैरे खुदा को हमेशा से कुफ्र व शिर्क है और हमेशा कुफ्र व शिर्क रहेगा। इसके बाद भी किसी की समझ में बात न आ रही हो तो किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम से और तफसील के साथ समझ लें और ख्वामख्वाह किसी भोले मुसलमान पर कुफ्र पर शिर्क की तोहमत न लगाएं अलबत्ता उसे समझा दें कि यह ताजीमी सजदा भी हराम और सख्त हराम है और कुफ्र व शिर्क की तरह है।

अहादीसे मुबारका

आलाहजरत इमाम अहमद रजा अलैहिर्रहमा ने ताजीमी सजदे के हराम होने पर चालीस अहादीसे मुबारका पेश की हैं। आपने चालीस अहादीस का इन्तेखाब इस बुनयाद पर किया है कि हदीस शरीफ में अरबईन (चालीस) की फज़ीलत आई है।

आपने हुरमते सजदा पर जिन आहदीस से इस्तिदलाल (दलील पेश करना) किया है उनकी दो किस्में हैं। पहली किस्म की हदीसों में यह बताया गया है कि गैरे खुदा को सजदा मुतलकन मना है और दूसरी किस्म की हदीसों में कब्र की तरफ सजदा करने को मना किया गया है।

पहली क़िस्म की अहादीस

हदीस न. 1 :– हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है एक औरत ने बारगाहे रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वत्तहिय्या में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलुल्लाह! शौहर का क्या हक है? आपने फरमाया अगर किसी बशर (इन्सान) को लाएक होता कि वह दूसरे बशर को सजदा करे तो मैं औरत को हुक्म देता कि जब शौहर घर में आए तो उसे सजदा करे क्यूँकि अल्लाह तआला ने उसे इस पर

फजीलत दी है।

इमाम तिर्मिज़ी ने मरफूअ़ हदीस में रिवायत किया कि ——— अगर मैं किसी को हुक्म देता कि किसी (दूसरे) को सजदा करे तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाविन्द (शौहर) को सजदा करे।

हदीस न. 2 :– हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए तो एक ऊँट ने आकर आपको सजदा किया, सहाबए किराम ने आकर अर्ज किया कि यह बेअक्ल चौपाया है इसने आपको सजदा किया हालांकि हम अक्ल रखते हैं तो हमें इस बात का ज़्यादा हक पहुँचता है कि आपको सजदा करें। (इस पर) नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इन्सान के लिये दूसरे इन्सान को सजदा करना जाएज नहीं अगर यह बात जाएज होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाविन्द के हक के सबब जो उसके ज़िम्मे है सजदा करे।

हदीस न. 3 :– हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक अन्सारी घराने का ऊँट था जिस पर वह आब कशी करते थे वह बिगड़ गया (आगे वाकिए का ज़िक्र आता है) पस जब ऊँट ने रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके सामने सजदा–रेज हो गया। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! वह बेअक्ल जानवर आपको सजदा करता है और हम तो अक्लमन्द हैं लिहाजा हमें इस बात का ज़्यादा हक है कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया किसी इन्सान को जाएज नहीं कि किसी दूसरे इन्सान को सजदा करे अगर यह बात जाएज़ होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह ख़ाविन्द के अजीम (बड़) हक के पेशे नजर उसे सजदा करे। ——— इमाम मुन्ज़री फरमाते हैं इस हदीस की सनद जय्यद और रावी सिकह मशहूर हैं।

हदीस न. 4 :– हजरते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्सार के एक बाग में दाख़िल हुये आपके साथ हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रते उमर फारूक (रदियल्लाहु तआला अन्हुमा) और कुछ अन्सार रदियल्लाहु

तआला अन्हुम भी थे बाग में कुछ बकरियाँ थीं जिन्होंने आप को सजदा किया हज़रते अबू बक्र सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा या रसूलुल्लाह! इन बकरियों की निसबत हम आपको सजदा करने का ज़्यादा हक रखते हैं। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में किसी के लिए जाएज़ नहीं कि वह किसी को सजदा करे अगर किसी के लिए किसी को सजदा करना जाएज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाविन्द को सजदा करे। ——— हजरते मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शरहे शिफा इमाम काज़ी अयाज़ ने फरमाया कि इसकी सनद सही है।

हदीस न. 5 :– हजरते अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हम रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुये थे कि एक आने वाला आया और अर्ज किया या रसूलुल्लाह फलाँ कबीले का आब कशी (पानी लाना) का ऊँट भाग गया (ये सुन कर) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुये हम भी आप के साथ उठे, हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह इस ऊँट के करीब न जायें हमें डर है कि आपको अज़ीयत (तकलीफ) पहुँचाए। चुनाँचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊँट के करीब हो गए, ऊँट आपको देखते ही सजदा –रेज़ हो गया फिर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक (हाथ) ऊँट के सर पर रखा और फरमाया लोहा लाओ जब लोहा लाया गया तो आपने उसके सर में रख दिया। रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊँट के मालिक को मेरी तरफ बुलाओ जब वह बुलाया गया तो आपने फरमाया यह ऊँट तुम्हारा है? उसने अर्ज़ किया जी हाँ आपने फरमाया इसे चारा अच्छी तरह दो और इस पर काम में सख्ती न करो। उसने अर्ज़ किया ऐसा ही करूंगा। हज़रते इब्ने अबी औफा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं सहाबए किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! एक जानवर आपके हक की अज़मत के पेशे नजर आपको सजदा करता है तो हमें आपको सजदा करने का ज़्यादा हक

है। रसूले करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को हुक्म देता कि वह एक दूसरे को सजदा करें तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने खाविन्दों (शौहरों) को सजदा करें।

हदीस न. 6 :– हजरते याअला इब्ने मुर्रह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम (बाहर) तशरीफ लाए तो एक ऊँट बोलता हुआ आया यहाँ तक कि उसने आपको सजदा किया तो मुसलमानों ने अर्ज किया हमें रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करने का ज्यादा हक है। (इस पर) आपने फरमाया अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वह किसी शख़्स को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खाविन्द को सजदा करे। ——— मतालिउल मसर्रात में है कि इस हदीस की सनद सही है।

हदीस न. 7 :– हजरते आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन व अन्सार की एक जमाअत में तशरीफ फरमा थे एक ऊँट ने आकर आपको सजदा किया। इस पर सहाबाए किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! आपको जानवर और दरख़्त सजदा करते हैं तो हमें ज्यादा हक है कि आपको सजदा करें। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने रब की इबादत करो और अपने भाई (रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की इज़्ज़त करो और अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वह किसी को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खाविन्द को सजदा करे।

हदीस न. 8 :– हजरते सअलबा इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है बनू सलमा के एक आदमी ने अपने काम काज के लिए ऊँट खरीदा फिर उसे बाड़े में दाखिल किया, लादने का वक्त आया तो जो शख़्स भी उसके पास जाता वह हमला कर देता। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप से (माजरा) जिक्र किया गया आपने फरमाया उससे (दरवाजा) खोल दो।

उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! हमें डर है कि यह आपको नुकसान पहुँचाए। आपने फरमाया इसे आजाद करो। चुनांचे उन्होंने खोल दिया जब ऊँट ने आपको देखा तो सजदे में गिर गया। इस पर कौम ने अल्लाह तआला की तस्बीह बयान की यानि पाकी बयान की और अर्ज किया या रसूलुल्लाह! इस जानवर की निसबत हमें ज्यादा हक पहुँचता है कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया अगर मख़लूक के लिए अल्लाह तआला के सिवा किसी को सजदा करना जाएज होता तो औरत के लिए अपने खाविन्द को सजदा करना जएज़ होता।

हदीस न. 9 :– हजरते गीलान इब्ने सलमाह सकफी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमराह गए तो हमने एक अजीब बात देखी, हम चलते–चलते एक मन्जिल पर उतरे तो एक शख़्स ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया ऐं अल्लाह के नबी! मेरा एक बाग है जो मेरा और मेरे अहलो अयाल (परिवार) का जरियए मआश है यानि रोज़ी रोटी का ज़रिया है। उसमें मेरे पानी लाने वाले दो ऊँट थे जो मस्त हो गए और उन्होंने मुझे बाग में जाने से रोक दिया है, हममे से उनके करीब कोई नहीं जा सकता। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबए किराम के साथ उठ खड़े हुए, हत्ताकि बाग में तशरीफ लाए और बाग के मालिक से फरमाया (दरवाजा) खोलो। उसने अर्ज़ किया हुज़ूर इनका मामला बहुत सख़्त है। आपने फरमाया खोलो। जब उसने दरवाजे को हरकत दी तो वह दोनों ऊँट हल्की फुल्की हवा की तरह उसकी तरफ मुत्वज्जे हुए। जब दरवाजा खुला और उन्होंने नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो बैठ गए फिर आपको सजदा किया। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सर को पकड़ कर उनके मालिक के हवाले कर दिया और फरमाया इन से काम लो लेकिन चारा अच्छी तरह दो। सहाबए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! आपको जानवर सजदा करते हैं हालांकि अल्लाह तआला ने आपके जरिये हमें बहुत अच्छा इनाम दिया कि गुमराही से हिदायत अता फरमाई और आपके वसीले से हलाकतों से बचाया क्या आप हमें

इजाजत नहीं देते कि हम आपको सजदा करें। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे सजदे का हक हासिल नहीं है, सजदा तो उस ज़ात को होगा जो जिन्दा है और कभी नहीं मरेगा और अगर मैं इस उम्मत में से किसी के लिए किसी को सजदे की इजाजत का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाविन्द को सजदा करे।

हदीस न. 10 :– हज़रते इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है एक अन्सारी के दो ऊँट थे जो मस्त हो गए। उन्होंने उनको बाग़ में दाख़िल करके दरवाज़ा बन्द कर दिया फिर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए ताकि आप उनके लिए दुआ फ़रमायें। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फ़रमा थे और आपके साथ कुछ अन्सार और सहाबाए किराम भी थे। उन्होंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी! मैं एक हाजत लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दो ऊँट मस्त हो गए हैं। मैंने उनको बाग में दाखिल करके दरवाज़ा बन्द कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ फ़रमायें कि अल्लाह तआला उन्हें मेरे काबू में दे दे। नबीए अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया हमारे साथ उठो फिर आप तशरीफ ले गए यहाँ तक कि दरवाज़े के पास पहुँचे तो फ़रमाया खोलो। उसने दरवाज़ा खोला। एक ऊँट दरवाज़े के क़रीब था उसने हुज़ूर को देखते ही आपको सजदा किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई चीज लाओ जिसके साथ मैं इसका सर बांध कर तुम्हारे कंट्रोल में दे दूँ। वह एक लगाम लाया आपने उसका सर बांधा दिया फिर दीवार की आख़िरी जानिब दूसरे ऊँट की तरफ तशरीफ ले गए। जब ऊँट ने आपको देखा तो सजदा–रेज़ हो गया। आपने उस शख़्स से फ़रमाया कोई चीज लाओ जिसके साथ मैं उसका सर बांधूँ फिर आपने उसका सर बांध कर उस शख़्स के क़ब्ज़े में दे दिया। फ़रमाया जाओ यह तुम्हारी नाफ़रमानी नहीं करेंगे। जब सहाबाए किराम ने यह बात देखी तो हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अनहु फ़रमाते हैं उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! ये दो ऊँट

गैर–आकिल (बेअक्ल) हैं उन्होंने आपको सजदा किया तो क्या हम आपको सजदा न करें आपने फरमाया अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वह किसी दूसरे को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खाविन्द को सजदा करे।

हदीस न. 11 :– हजरते जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं एक सफर में नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ गया और आप कज़ाए–हाजत के लिए किसी पोशीदा मकाम की तरफ तशरीफ ले जाते, पस दिखाई न देते हम एक खुले मैदान की तरफ उतरे जहाँ कोई दरख्त और आड़ वगैरह न थी। आपने फरमाया ऐ जाबिर अपने बर्तन में पानी डाल लो और हमारे साथ चलो। फरमाते हैं हम चले हत्ताकि नजरों से ओझल हो गए वहाँ दो दरख़्त थे जिनके दरमियान दो हाथ का फासला था। आपने फरमाया ऐ जाबिर उस दरख्त के पास जाकर कहो कि दूसरे दरख्त के साथ मिल जाए ताकि मैं उन दोनों के पीछे बैठ जाऊँ। चुनांचे वह उस दरख़्त की तरफ गया और रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों के पीछे बैठे फिर (दरख़्त) अपने–अपने मकाम की तरफ लौट गए। हम सवार हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे गोया हमारे सरों पर परिन्दे साया किए हुये थे। आपके सामने एक औरत पेश की गई जिसके साथ एक बच्चा था उसने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! मेरे इस बच्चे पर शैतान रोजाना तीन बार हमला करता है। आपने फरमाया बच्चा मुझे दो। चुनांचे आपने उसे अपने और कजावे के दरमियान रखा और फरमाया ऐ अल्लाह के दुश्मन दूर हो जाओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तीन बार फरमाया फिर बच्चा उस औरत को दे दिया। जब हम सफर मुकम्मल कर चुके और फिर वहाँ से गुज़रे तो औरत पेश की गई उसके साथ उसका बच्चा और दो मेंढे थे जिन्हें वह चला रही थी। उसने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! मेरी तरफ़ से यह हदया (तोहफा) कबूल फ़रमायें, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा वह (शैतान) फिर नहीं लौटा। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मेंढा ले लो और दूसरे उसे लौटा दो। हजरते जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु

फरमाते हैं फिर हम चले और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान थे गोया हमारे सरों पर परिन्दे साया किये हुये थे। अचानक एक छूटा हुआ ऊँट आ गया जब वह दोनों कतारों के दरमियान हुआ तो सजदा–रेज़ हो गया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुये तो फरमाया इसके मालिक को हाजिर करो। चुनांचे कुछ अन्सारी नौजवान हाजिर हुये। उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! यह हमारा है। आपने फरमाया इसका क्या मामला है। उन्होंने फरमाया इस पर हम बीस साल से आबकशी (पानी लाना) करते हैं यह मोटा ताज़ा चरबी वाला है, हम इसे जिबह करके बच्चों में तकसीम करना चाहते थे तो हमसे छूट गया। आपने फरमाया इसे मुझे बेचो। उन्होंने कहा नहीं बल्कि वह आपकी ख़िदमत में पेश करते हैं। आपने फरमाया अच्छा ऐसा नहीं तो इससे अच्छा सुलूक करो यहाँ तक कि इसे मौत आ जाए। इस वक़्त मुसलमानों ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! इन जानवरों की निसबत हमें ज्यादा हक पहुँचता है कि आपको सजदा करें। आपने फरमाया किसी को जाएज नहीं किसी को सजदा करे और अगर ऐसा होता तो औरतें खाविन्दों को सजदा करतीं। ——— इमाम जलालुद्दीन सियूती रहिमतुल्लाहि (अल्लाह उन पर रहम फरमाए) ने मनाहिल में फरमाया कि इसकी सनद सही है ——— इमाम कुस्तुलानी रहिमतुल्लाहि ने मवाहिबे लदुन्निया में और अल्लामा फ़ासी ने मतालिउल मसर्रात में फ़रमाया कि इसकी सनद जय्यद है ——— अल्लामा जरकानी ने फरमाया इसके तमाम रावी सिक़ह हैं यानि लाइक़े भरोसा हैं।

हदीस न. 12 :– हजरते इब्ने बुरैदह अपने वालिद (रदियल्लाहु तआला अन्हुमा) से रिवायत करते हैं कि एक आराबी (जंगल में रहने वाला) ने बारगाहे नबवी में हाजिर होकर अर्ज किया या रसूलुल्लाह! मैं इस्लाम ला चुका हूँ मुझे ऐसी चीज दिखायें जिससे मेरे यक़ीन में इज़ाफा हो जाए। आपने फरमाया तुम क्या चाहते हो। उसने अर्ज किया उस दरख़्त को बुलायें कि वह आपकी खिदमत में हाज़िर हो। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पास जाओ और कहो कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है।

आराबी ने दरख्त के पास जाकर कहा तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम याद फ़रमाते हैं। रावी कहते हैं वह एक तरफ को झुका कि उधर के रेशे टूट गए फिर दूसरी जानिब झुका तो उस तरफ के रेशे टूट गए वह बारगाहे नबवी में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया "अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह (ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो)" आराबी ने कहा मुझे काफी है (दो बार कहा) आपने दरख्त से फ़रमाया वापस चले जाओ। चुनांचे वह वापस चला गया और अपनी जड़ों पर शाखों समेत खड़ा हो गया। आराबी ने अर्ज किया हुजूर! मुझे इजाज़त दें कि आपके सरे मुबारक और पावों को बोसा (चूमना) दूँ। आपने इजाजत दे दी। फिर अर्ज किया मुझे इजाजत मरहमत फरमायें कि आपको सजदा करूँ। आपने फरमाया कोई शख़्स किसी दूसरे को सजदा न करे अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदे की इजाजत देता तो औरत को हुक्म देता कि वह आपने शौहर के हक की बिना पर उसको सजदा करे। ——— इमाम हाकिम ने फरमाया यह हदीस सही है।

हदीस न. 13 :– हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रते मुआज रदियल्लाहु तआला अन्हु शाम से वापस आए तो उन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा किया आपने फरमाया ऐ मुआज यह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया मैं शाम (मुल्क का नाम) में गया तो उन लोगों को देखा कि अपने पादरियों और सरदारों को सजदा करते हैं तो मेरे दिल ने चाहा कि हम हुजूर को सजदा करें। आपने फरमाया ऐसा न करो अगर मैं किसी गैरे खुदा के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने खाविन्द को सजदा करे। ——— इस हदीस को इब्ने अबी हब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया और मुन्जिरी ने इसके स्वालेह होने की तरफ इशारा किया।

हदीस न. 14 :– हज़रते मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं वह शाम (मुल्क का नाम) में गए तो उन्होंने ईसाइयों को देखा कि वह अपने पादरियों और फकीरों को और यहूदी अपने आलिमों और आबिदों को सजदा करते हैं, उन्होंने फरमाया तुम ऐसा

क्यूँ करते हो। उन्होंने कहा अम्बियाए किराम की ताज़ीम के लिए। मैं ने कहा हमें ज़्यादा हक है कि अपने नबी के साथ यह अमल करें तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन लोगों ने अपने अम्बियाए किराम पर झूट बोला जैसे उन्होंने अपनी किताब बदल दी अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता हक वह अपने शौहर के अजीम हक के पेशे नज़र उसे सजदा करे।

हदीस न. 15 :– हज़रते मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वह यमन से वापस आए तो अर्ज की या रसूलुल्लाह! मैंने यमन में कुछ लोगों को देखा कि वह एक दूसरे को सजदा करते हैं क्या हम आपको सजदा करें। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी इन्सान को हुक्म देता कि वह किसी दूसरे इन्सान को सजदा करे तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने ख़ाविन्द को सजदा करे।

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा कुद्दिया सिर्रुहू फरमाते हैं यह हदीस सही है और इसके सब रावी सही बुख़ारी व मुस्लिम के रावियों में से हैं तो जब यह दोनों हदीसें सही हैं तो यकीनन यह दो वाकये हैं पहली बार शाम में यहूद व नसारा (ईसाई) को देखा कि आए और हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा किया ——— जिस पर मुमानअत (मना करना) फरमाई दोबारा यमन वालों को देख कर आए अब अपने मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदे के कमाले शौक में या तो पहला वाकिया ज़हन से उतर गया या इस वजह से कि यह यहूद व नसारा की मुख़ालफ़त की वजह से, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आख़री अमल था, नही (रोकना) का एहतिमाल समझा और सजदा किया सिर्फ़ इजाज़त चाही तो मुमानअत फरमाई गई। वल्लाह तआला आलम बिस्सवाब।

हदीस न. 16 :– हज़रते कैस इब्ने सआद रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैं हैरह (जगह का नाम) में गया तो उन लोगों को देखा कि अपने शहरयार (बादशाह) को सजदा करते हैं मैंने सोचा रसूले अकरम

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक (हकदार) हैं। चुनांचे हाज़िरे ख़िदमत होकर अर्ज़ किया कि मैं हैरह गया तो वहाँ के लोग अपने शहरयार को सजदा करते हैं तो या रसूलुल्लाहु! आप इस बात का ज़्यादा हक रखते हैं कि आप को सजदा किया जाए। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ अगर तुम मेरी कब्र के पास से गुज़रो तो उसे भी सजदा करोगे मैंने अर्ज किया नहीं। आपने फरमाया तो ऐसा न करो अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वह किसी दूसरे को सजदा करे तो औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सजदा करें क्यूँकि उनका उन औरतों पर हक है।

इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को सकूतन (ख़ामोशी इख़्तयार करते हुए) हसन कहा और इमाम हाकिम ने तसरीहन (वाजेह तौर पर) कहा कि यह हदीस सहीह है इमाम ज़हबी ने इसे मुकर्रर रखा।

हदीस न. 17–21 :– इन अहादीस में हजरते मुख़्तारह इब्ने जैद इब्ने अरकम सुराकह इब्ने मालिक इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने रिवायत किया है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया :–

अगर मुझे किसी को किसी के लिए सजदे का हुक्म देना होता तो औरत को फरमाता कि वह अपने शौहर को सजदा करे।

हदीस न. 22 :– हजरते इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जिसका आयते करीमा के शाने नुजूल में जिक्र हुआ कि एक सहाबी ने सजदे की इजाज़त मांगी तो आयते करीमा उतरी।

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस के ज़ैल में (यानि इसके तहत) तफसीरे मदारकि के हवाले से हजरते सलमान रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल की है कि उन्होंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करना चाहा तो आपने फरमाया मख़लूक के लिए अल्लाह तआला के सिवा किसी को सजदा करना जाएज़ नहीं।

ताज़ीमी सजदा जाएज था फिर मन्सूख़ हो गया क्यूँकि जब हजरते सलमान रदियल्लाहु अन्हु ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम को सजदा करने का इरादा किया तो आपने फरमाया मखलूक के लिए अल्लाह तआला के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं।

नीज उन्होंने तफसीरे कबीर के हवाले से इमाम सुफयान सौरी रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के हवाले से नक्ल किया कि हज़रते अली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने नसारा के सफीर को इस बात से रोक दिया कि वह आपको सजदा करे।

तफसीरे कबीर मे यूँ है

हजरते सौरी हज़रते सम्माक इब्ने हानी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नसारा का सफीर हजरते अली मुर्तजा रदियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आप को सजदा करना चाहा आपने फरमाया अल्लाह तआला को सजदा करो मुझे सजदा न करो।

हदीस न. 23 :– हजरते अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! हममें से कोई शख्स अपने भाई या दोस्त से मुलाकात करता है तो क्या वह उसके लिए झुके आप ने फरमाया नहीं।

इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ मुख्तलिफ अलफाज़ से इसी मफहूम की हदीस नक्ल की है

हजरते अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है सहबए किराम ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! क्या मुलाकात के वक्त हम एक दूसरे के लिए झुक सकते हैं। आपने फरमाया नहीं।

दूसरी क़िस्म की अहादीस

अब यहाँ पर वो हदीसें पेश हैं जिन में कब्र की तरफ सजदा करने की मुमानअत आई है।

हदीस न. 24 :– हजरते अबू मरसद गनवी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कब्रों पर बैठो और न उनकी तरफ रूख करके नमाज पढो।

हदीस न. 25 :– हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम

ने फरमाया न कब्र की तरफ मुँह करके नमाज पढो और न कब्र के ऊपर नमाज़ पढ़ो।

हदीस न. 26 :– हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अनहु से मरवी है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढने से मना फरमाया। ——— अल्लामा मनावी ने फरमाया कि इस हदीस की सनद सही है।

हदीस न. 27 :– हज़रते इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूनो! तुम में कोई हरगिज़ किसी दूसरे शख़्स या कब्र की तरफ़ रुख़ करके नमाज न पढे।

हदीस न. 28 :– हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है फरमाते हैं हज़रते उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे एक कब्र की तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो फरमाया तुम्हारे सामने कब्र है। चुनांचे आपने मुझे रोक दिया। हज़रते वकीइ की रिवायत में है कि मुझे फरमाया कब्र की तरफ़ नमाज न पढो और फ़जल इब्ने दकीन की रिवायत में है कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी (सामने) कब्र है। चुनांचे वह आगे बढ़े और कब्र से तजावुज करके यानि हट कर नमाज़ अदा की।

हदीस न. 29 :– हज़रते आइशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जे वफात में फरमाया यहूद व नसारा पर अल्लाह तआला की लानत हो उन्होंने अपने अम्बियाए किराम की कब्रों को महल्ले सजदा (सजदे की जगह) बना लिया अगर यह बात न होती तो रौज़ए मुतह्हिरा को खोल दिया जाता मगर अन्देशा हुआ कि कहीं सजदा न होने लगे लिहाजा मुख़फी (छुपा हुआ) रखा गया है।

एक रिवायत में है आपने फरमाया (यहूद व नसारा) कयामत के दिन अल्लाह तआला के यहाँ बदतरीन मख़लूक होंगे।

हदीस न. 30 :– हज़रते अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अनहु से मरवी है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला यहूद व नसारा को हलाक करे उन्होंने अपने अम्बियाए किराम की कब्रों को सजदागाह बना लिया।

हदीस न. 31 :– हज़रते आइशा और हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम फ़रमाते हैं रूहे अक़दस के नज़अ के वक़्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम चादर मुबारक रू–ए–अनवर पर डाल लेते अब नागवारी होती तो हटा देते, इसी हालत में फ़रमाया अल्लाह तआ़ला यहूद व नसारा पर लानत भेजे उन्होंने अपने अम्बियाए किराम की क़ब्रों को सजदागाह बना लिया आपने (अपने मज़ारे मुबारक के साथ) ऐसा अमल करने से डराया।
हदीस न. 32 :– हज़रते अली करमल्लाहु वजहहुल करीम फ़रमाते हैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मर्ज़े विसाल मे मुझे फ़रमाया लोगों को मेरे पास हाज़िर होने की इजाज़त दो, चुनांचे मैंने लोगों को इजाज़त दी। आपने फ़रमाया उस कौम पर अल्लाह तआ़ला की लानत हो जिन्होंने अपने अम्बियाए किराम की क़ब्रों को सजदागाह बना लिया। फिर आप पर ग़शी तारी हो गई जब इफ़ाक़ा हुआ तब फ़रमाया ऐ अली! लोगों को मेरे पास बुलाओ। मैंने लोगों को बुलाया तो आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला की लानत हो उस कौम पर जिन्होंने अपने अम्बियाए किराम की क़ब्रों को सजदागाह बना लिया। (तीन मरतबा इसी तरह हुआ। तीसरी बार इफ़ाके पर भी आपने यही बात फ़रमाई यह मर्ज़े विसाल का वाक़िआ है)
हदीस न. 33 :– हज़रते उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा फ़रमाते हैं रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मर्ज़े विसाल में फ़रमाया मेरे सहाबाए किराम को मेरे पास लाओ वो दाख़िल हुए तो आपने मआफ़री चादर (चादर का नाम) से चेहरा ढापा हुआ था। आपने पर्दा हटाया और फ़रमाया अल्लाह तआ़ला यहूद व नसारा पर लानत भेजे उन्होंने अपने अम्बिया अलैहिमुससलाम की क़ब्रों को सजदागाह बना लिया।
हदीस न. 34 :– हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना आपने फ़रमाया बदतरीन लोग वह हैं जो क़यामत क़ायम होने के वक़्त ज़िन्दा होंगे और जिन्होंने क़ब्रों को सजदागाह बना लिया।
हदीस न. 35 :– हज़रते अली करमल्लाहु वजहहुल करीम से मरवी

है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन लोगों में से है वो जो कब्रों को सजदागाह बनाते हैं।

हदीस न. 36, 37 :– सही मुस्लिम में इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से और मोजम तबरानी में हज़रते कअब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है फरमाते हैं :–

मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल से पांच दिन पहले आप से सुना आप फरमाते थे सुनो! तुम से पहले लोग अपने अम्बियाए किराम और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बनाते थे, ख़बरदार! तुम कब्रों को जाए सजदा न बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ।

हदीस न. 38 :– हज़रते अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यूँ दुआ फरमाई।

या अल्लाह! मेरी कब्रे अनवर को बुत न होने देना उस कौम पर अल्लाह तआला की लानत हो जिसने अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बनाया।

हदीस न. 39 :– हज़रते अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस कौम पर अल्लाह तआला का सख़्त गज़ब हुआ जिन्होंने अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बना लिया।

हदीस न. 40 :– हज़रते अम्र इब्ने दीनार रदियल्लाहु तआला अन्हु से कब्रों के दरमियान नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया मुझे बताया गया है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराईल अपने अम्बियाा अलैहिमुस्सलाम की कब्रों को सजदागाह बनाते थे तो अल्लाह तआला ने उन पर लानत फरमाई।

नोट :– इन अहादीस से साबित हुआ कि अल्लाह तआला और हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरगिज हरगिज यह पसन्द नहीं करते थे कि कोई हुज़ूर की कब्र को सजदा करे बल्कि ऐसे शख़्स पर अल्लाह की लानत है तो जब हुज़ूर की कब्र को सजदे का

यह हुक्म है तो किसी और की कब्र को सजदे का कितना सख़्त हुक्म होगा। इसी तरह किसी पीर वग़ैरह को भी सजदा बिला शक व शुबह हराम और सख़्त हराम है। ——— सजदए ताज़ीमी का यह हुक्म है सजदए इबादत हमेशा से कुफ़्र व शिर्क है और हमेशा कुफ़्र व शिर्क रहेगा।

इन तमाम दलाइल के बाद यह बातें वाजेह तौर से सामने आईं कि आलाहज़रत न तो सजदए ताज़ीमी के काएल हैं और न इस जैसी किसी बिदअते सइइआ (बुरी नई बिदअत यानि बुरा नया काम) को पसन्द करते बल्कि आपने उन तमाम बिदआत को जो दीन में शामिल होती रहीं हैं उनकी सख़्ती से मुख़ालफ़त की है और भरपूर तरीक़े से उनका रद किया है और दीन की हर सम्त में तजदीदी कारनामे अन्जाम दिए हैं। अल्लाह तआला हमको तमाम बिदआत सइइआ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

आमीन बिजाहे नबीए हिल करीम